N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0245 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2025 20:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2025 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2025 20:36:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 83 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NAGARPALIKA BASERI, JILA DHOLPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RUPENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAIRO SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TIMASIYA HAL HARIYAL COLONY, BASERI, BASERI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TIMASIYA HAL HARIYAL COLONY, BASERI, BASERI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LOKESH KUMAR MEENA		पिता:BANWARILAL MEENA	1. GRAM POST BADIYAL KALAN,BASVA,BANDIKUI(DAUSA),DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग करौली (राज.) विषय विधुत विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये पकडवाने के बाबत, महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै बसेडी का रहने वाला हूं हमारे घर का बिजली कनैक्शन मेरे पिताजी भैरोसिंह पुत्र कोक सिंह के नाम है जिसका के नम्बर है मेरे पिताजी की उम्र 65 वर्ष जिनकी तबीयत खराब रहती है हमारे बिजली मीटर का माह अगस्त बिल राशि 444 रूपये है जो अभी बकाया है एवं मीटर में वर्तमान में 2300 के करीब रीडिंग है बसेडी बिजली ग्रेड पर लोकेश लाईनमैन ने कहा कि मीटर रीडिंग के हिसाब से पिछले महीने 12000 रूपये का बिल बना रहा था एवं कह रहा है कि मै दूसरा मीटर बदल दूंगा आधे 6000 रूपये दे देना में ऐसे भ्रष्ट बिजली कर्मचारी को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये पकडवाने चाहता हूं इस संबंध में मेरे पिताजी श्री भैरो सिंह मुझे रूपेन्द्र सिंह ट्रेप कार्यवाही करने सहमति दी है जिसका प्रार्थना मय अंगूठा निशानी के रिपोर्ट के साथ पेश कर रहा हूं कार्यवाही करें हस्ताक्षर प्रार्थी रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरो सिंह उम्र 25 वर्ष जाति राजपूत निवासी बसेडी मो. नम्बर दिनांक 10.09.2025 हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली दिनांक 10.09.2025, ह. स्वतंत्र गवाह-ऋषिकेश मीना व आकाश कुशवाह दिनांक 16.09.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10.09.2025 को समय 01.30 पी.एम. पर परिवादी रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरो सिंह उम्र 25 वर्ष जाति राजपूत निवासी बसेडी जिला धौलपुर ने ब्यूरो कार्यालय करौली में उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मय अपने पिता भैरो सिंह के सहमति प्रार्थना पत्र के एवं अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति के अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टारचार निरोधक विभाग करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेश की। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुए परिवादी रूपेन्द्र सिंह से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया, परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर रिश्वत मांग को गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर मुख्य आरक्षक श्री समय सिंह हैड कानि 45 से कार्यालय आलमारी से विभागीय वाईस रिकार्डर निकलवा कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वाईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई जाकर वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड लगाया गया तथा श्री गोपेन्द्र सिंह कानि 277 को जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी को आरोपीगण के पास से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करने तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वाईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आने तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करने की हिदायत दी गई, तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि बताया कि करौली से बसेडी पहुंचने में करीब दो या तीन घंटे लग जाते एवं वापस आते समय रात का समय हो जायेगा इसलिए आप आपके स्टाफ में से किसी को बसेडी कल दिनांक 11.9.2025 को भेज देना मैं वहीं मिल जाउंगा इस पर वाईस रिकार्डर को कानि से प्राप्त कर अपने चेम्बर के टेबल लॉकर में रखा गया एवं दिनांक 11.9.2025 को गोपेन्द्र कानि को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु बसेडी जाने के लिये पांबद किया जाकर परिवादी को रुकसत किया गया। इसके बाद दिनांक 11.09.2025 को समय 09.06 ए.एम पर परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह ने जरिये मोबाईल कॉल कर कार्यालय से कार्मिक भिजवाने के लिए कहा गया जिस पर समय 09.30 एएम पर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि 277 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु वाईस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी रुपेन्द्र का मोबाईल नम्बर कानि को देकर परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता कर परिवादी के पास जाकर एवं आरोपी के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को देने एवं बाद सत्यापन रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख हालात मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करावे एवं संभवतया आरोपी व परिवादी की बाते सुनने का प्रयास करने की हिदायत की जाकर वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के समय समय 10.15 ए.एम. पर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि 277 व श्री समय सिंह हैड कानि 45 को जरिये सरकारी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 14 एलबी 4230 के वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन बसेडी रवाना किया गया तथा समय 10.25 एएम पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय सरकारी वाहन के गोपनीय कार्य हेतु धौलपुर रवाना हुआ तथा धौलपुर प्रवास के दौरान समय करीब 02.28 पीएम पर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि ने जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है जिस पर कानि. को कार्यालय एसीबी चैकी करौली पहुचने एवं परिवादी को आईन्दा कार्यालय पर

आने की हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक समय करीब 11.30 पीएम पर वापस कार्यालय करौली आया जहां पर उपस्थित श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से पूर्व में सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर जरिये फर्द लिया गया एवं कानि. ने पूछने पर बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय मे मैं और समय सिंह हैड साहब सरकारी मोटर साईकिल मे मय वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड लगे हुए के रवाना होकर बाडी पहुचे जहा परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने अपने घर पर बसेडी पुराने थाने के पास आने के लिए कहा जिस पर हम दोनो रवाना होकर परिवादी के बताऐ स्थान पर पहुंचे जहां पुनः परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी हमारे पास आ गया एवं हमें अपने साथ घर ले गया जहां कुछ देर बाद परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को फोन किया तो उसने परिवादी के घर पर ही कुछ देर बाद आने की कहा और कुछ समय के बाद परिवादी ने हमें बताया कि लाईमैन गेट पर आ गया है जिस पर मैने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु वार्ता करने के लिए परिवादी को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद परिवादी ने गेट पर जाकर गेट खोल दिया मैं और हैड साहब दोनो मकान के अन्दर एक कमरे में बैठ गये। कुछ देर तक परिवादी व उसके घर वाले एवं पडौसी तथा आरोपी लाईमैन गेट के बाहर ही बाते करते रहे उसके बाद परिवादी एवं आरोपी लाईनमैन मकान के अन्दर आकर एक कमरे में बैठकर अपने काम की बाते करने लग गये एवं हम दोनों कमरे बैठे हुए परिवादी एवं आरोपी लाईनमैन को बाते करते हुए देख रहे थे। आरोपी लाईनमैन से बात करने के बाद परिवादी हमारे पास कमरे में आया जिससे मैने वाईस रिकार्डर लेकर बन्द करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद आरोपी वहा से चला गया फिर पूछने पर परिवादी ने हमें बताया कि मेरी लाईनमैन से रिश्वत मांग के संबंध में बात हो गई है जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। इसके बाद मैने फोन करके आपको सारी बाते बता दी आपके निर्देशानुसार परिवादी को उसके घर पर छोडकर आयन्दा आने की कहकर में और हैड साहब रवाना होकर चौकी पर आ गये जहां आपके आने पर आपको वाईस रिकार्डर संभला दिया, समय सिंह हैड कानि. ने पूछने पर गोपेन्द्र सिंह कानि.के कथनों को सही बताया उसके बाद वाईस रिकार्डर को मैमारी कार्ड लगे सहित लेपटॉप में कनेक्ट कर रिकार्डिग वार्ता सुनी गई तो परिवादी रुपेन्द्र सिंह से संदिग्ध आरोपी लोकेश लाईन मैन द्वारा रिश्वत मांग करने संबंधी वार्ता रिकार्ड होना पाई गई, वाईस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड लगे सहित अपने चेम्बर में मेरे पजेशन में रखा गया। इसके बाद दिनांक 15.09.2025 को समय करीब 04.00 पी.एम. पर श्री बृजेश कुमार मीणा कानि. चालक 562 को तहरीर सहित कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली भेजकर दो स्वतंत्र गवाह श्री ऋषिकेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक व श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी को दिनांक 16.09.2025 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द करवाया गया। इसके बाद दिनांक 16.09.2025 को समय 09.40 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह ऋषिकेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक व श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली उपस्थित कार्यालय आये जिनको नाम पते पूछकर कार्यालय में बैठाया गया, इसके बाद समय 10.00 ए. एम. पर परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आया, जिसने पूछने पर दिनांक 11.09.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी गोपेन्द्र सिंह कानि. एवं हैड कानि. समय सिंह द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की, तत्पश्चात दोनो गवाहन ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति पूछने पर दी, फिर परिवादी व गवाहन का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतन्त्र गवाहन को पढाया गया जिन्होने अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 10.15 एएम पर दिनांक 11.9.2025 को आरोपी लोकेश लाईनमैन व परिवादी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के वाईस रिकार्डर को लेपटॉप में लगाकर रिकार्ड फोल्डर को लेपटॉप में सेव किया जाकर टेबल स्पीकर की मदद से परिवादी व गवाहन के सामने परिवादी से पूछ पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लेपटॉप की मदद से श्री गोपेन्द्र सिंह कानि से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव क्रमश-मूल प्रति, मुल्जिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ए-1,ए-2,ए-3 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं आई.ओ. प्रति को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रासक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन से आरोपी लोकेश लाईनमैन द्वारा परिवादी से 4000 रूपये की रिश्वत की मांग करना स्पष्ट पाया गया। इसके बाद मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड पैनड्राईवों को मालखाना प्रभारी श्री सुमेर सिंह हैड कानि. 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके बाद समय 12.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री रुपेन्द्र सिंह ने मांगने पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल 4000 रूपये अपने पास से निकालकर पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्द नोट में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर जाकर श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से टेबल के उपर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 4000 रूपये के नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री रुपेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी से लिवाई जाकर जिसमें उसके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 4000

रूपये के नोट परिवादी श्री रुपेन्द्र सिंह के बदन पर पहने हुये जीन्स पेन्ट के सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा रिश्वतराशि देने से पहले व बाद में आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहो को यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें की हिदायत दी गई। तथा साथ ही समस्त ट्रेप सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतन्त्र गवाह श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन व गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी को ढक्कन बंद करवाकर श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतवीर कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये तथा परिवादी को छोडकर सभी की आपस में तलाशी लिवाई गई जिसमें किसी के पास पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरनो को सेम्पू साबुन से साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया साथ ही स्टोर प्रभारी से नये पेनड्राईव 32 जीबी को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर रिश्वत लेन देन के समय परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के बाद समझाईस परिवादी रुपेन्द्र सिंह को जरिये फर्द सुपुर्द किया गया तथा कार्यालय में उपस्थित गवाह श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी को उसके निवेदन पर कर्मचारी संघ के चुनाव में वोट डालने के लिये कार्यालय जिला रसद अधिकारी हमराह एसीबी कार्मिके के रवाना किया गया जो बाद वोटिंग उपस्थित कार्यालय आया। इसके बाद समय 01.20 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये ईशारे से अवगत कराया जाकर एवं सभी स्टाफ की जामा तलाशी लिवाई जाने के बाद श्री अजय कुमार एएसआई को मय जाप्ता श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70, श्री विष्णुसिंह कानि0 135, श्री राकेश सिंह कानि0 268 एवं कानि. चालक श्री बृजेश कुमार के जरिये प्राईवेट वाहन बाद हिदायत रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री ऋषिकेश मीना व आकाश कुशवाह एवं परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह एवं जाप्ता के श्री बृजेश कुमार कानि0 461, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 277 के हमराह जरिये सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर सरकारी कैमरा आदि सामग्री के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार रवाना कस्वा बसेडी हुआ, कार्यालय में नोटो पर पाउडर लगाने वाले सतवीर कनिष्ठ सहायक को एवं हैड कानि0 समय सिंह को बादं हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 02.55 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान जाप्ता के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के लेकर मासलपुर होता हुआ कस्वा बसेडी में बयाना रोड पर पहुंचा एवं वाहनों को रोड के साईड में खडा कराया गया, जहां पर परिवादी द्वारा अपने परिचित व्यक्ति से मोटरसाईकिल मंगाई जाकर परिचित को वहां से रवाना किया, तत्पश्चात परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से हमराह कानि0 गोपेन्द्र सिंह एवं स्वतंत्र गवाह श्री ऋषिकेश मीना के बाद हिदायत परिवादी की सूचना अनुसार परिवादी के पुराना पुलिस थाना बसेडी स्थित घर के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहन रवाना होकर 03.05 पीएम पर पुलिस थाना बसेडी के सामने रोड पर पहुंचा, और परिवादी के घर से आगे कुछ दूरी पर वाहनों को रोड के साईड में खडा करवाया जाकर वाहन में से श्री सुमेर सिंह हैड कानि. एवं गवाह आकाश कुशवाह को उतारकर मन पुलिस निरीक्षक एवं जाप्ता से आपस में जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क रखने की हिदायत देकर परिवादी के घर पर भेजा तथा मन पुलिस निरीक्षक अन्य शेष जाप्ता सहित वाहनों में ही परिवादी व उसके साथ भेजे गये जाप्ता की अग्रिम सूचना/ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ, कुछ समय के बाद श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को जरिये व्हाटसएप कॉल् कर बताया कि परिवादी ने आरोपी लाईनमैन को कॉल किये है किन्तु लाईनमैन का फोन स्विच ऑफ है, जिस पर परिवादी को आरोपी की लोकेशन के बारे में अन्य किसी जानकार के जरिये पता लगाने के बारे में निर्देश दिये,

उसके कुछ समय बाद सुमेर सिंह हैड कानि0 ने जरिये दूरभाष मुझे बताया कि परिवादी ने अपने किसी जानकार के जरिये पता करवाया है तो आरोपी लाईनमैन का अपने अधिकारियों के साथ बसेडी में बिजली चैकिग में साथ है एवं इसी कारण उसके फोन का स्विच ऑफ है, तथा वह शाम के 5 बजे के बाद वापस आयेगा जिस पर और इन्तजार करने के निर्देश देकर अजय कुमार एएसआई को मय जाप्ता के जरिये प्राईवेट वाहन गांधी चौक से आगे जगनेर रोड पर भेजकर मन पुलिस निरीक्षक उक्त रोड पर आगे स्थित मंदिर पर मय जाप्ता के मुकीम हुआ। इसके बाद शाम को 5 बजे के बाद सुमेर सिंह हैड कानि0 ने जरिये दूरभाष मुझे बताया कि आरोपी लाईनमैन ने अपना फोन खोल लिया है जिस पर परिवादी ने उसको कई बार फोन किये है किन्तु उसने फोन रिसिव नहीं किया है, फिर भी और इन्तजार करने के निर्देश दिये, उसके कुछ समय के बाद सुमेर सिंह हैड कानि0 ने जरिये दूरभाष मुझे बताया कि परिवादी ने अपने किसी जानकार के जरिये पता किया है तो लाईनमैन का बसेडी में ही अपने अधिकारियों के साथ चैकिंग में होना तथा देर रात तक वापस आना जानकारी में आया है, इस पर श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 को मय परिवादी, गवाहान एवं कानि0 गोपेन्द्र सिंह के परिवादी के घर से वापस बुलाया जाकर आरोपी लाईनमैन का अपने अधिकारियों के साथ विधुत चौरी की चैंकिग में साथ रहने एवं देर रात्रि तक वापस आने एवं रात्रि में कार्यवाही को अंजाम देना उचित नहीं समझते हुये दिनांक 17.09.2025 को कार्यवाही करना सुनिश्चित कर गवाहान के सामने परिवादी को पूर्व में पाउडर युक्त सुपुर्द शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 4 हजार रूपयों को गवाह श्री ऋषिकेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक को दिलवाकर एक सफेद कागज में सुरक्षित रखवाई गई एवं परिवादी से वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड इन्ने सहित प्राप्त कर चालू कर चैक किया तो उसमें कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई, उक्त वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी रूपेन्द्र सिंह को आरोपी लाईनमैन से देर रात्रि तक जो कोई भी वार्ता हो के बारे में अवगत कराने एवं दिनांक 17.09.2025 को प्रातः 10-11 बजे के आस पास गांधी चौक तिराहा बसेडी पर उपस्थित मिलने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर अपनी सकूनत के लिये रवाना किया गया और समय करीब 06.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहन लेकर कस्बा बसेडी से रवाना होकर समय 08.50 पी.एम. पर ब्यूरो ईकाई करौली आया तथा ट्रैप बॉक्स व लेपटॉप प्रिन्टर को एवं वाईस रिकार्डर, कैमरा आदि को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया एवं गवाह के पास से पाउडर युक्त रिश्वती राशि 4000 रूपयो को बाद मिलान लेकर श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 से कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनों गवाहान को दिनांक 17.09.2025 को प्रातः 08.00 एएम पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से मसकन के लिये रवाना किया गया तथा शेष ब्यूरो स्टाफ को गोपनीय रखने आदि की हिदायत दी गई। इसके बाद समय 09.07 पी.एम. पर परिवादी ने जरिये फोन मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि समय करीब 09.04 पीएम पर आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन ने अपने फोन नम्बर से मेरे फोन नम्बर पर कॉल किया तो मैने उसको अपनी दीदी के पास आया हुआ होना बताते एवं दिनांक 17.09.2025 को दिन के 11 साढे ग्यारह बजे के आस पास घर पहुचने एवं पैसे देने के संबंध में बात की तो लाईनमैन ने कल दिनांक 17.09.2025 को 12-1 बजे के करीब मेरे घर पर आने की कहा है, इस पर परिवादी को दिनांक 17.09.2025 को 11 साढे 11 बजे के आस पास गांधी चौक तिराया बसेडी पर मिलने की हिदायत दी गई, तथा गवाहान एवं स्टाफ को दिनंाक 17.09.2025 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बाद दिनांक 17.09.2025 को समय 09.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री ऋषिकेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक व श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाकारी कार्यालय में उपस्थित आये तत्पष्चात समय 09.10 ए.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने श्री सुमेर सिंह हैड कानि. नं. 70 से कार्यालय की आलमारी के लॉक से दिनांक 16.09.2025 को रखी गई पाउडरयुक्त नम्बरी रिष्वती राशि 500-500 रूपये के 8 नोट कुल 4000 रूपयो को सुरक्षित निकलवाकर बाद मिलान सरकारी वाहन बोलेरो गाडी के डेस्कबोर्ड में रखवाकर स्टाफ के अजय कुमार एएसआई को मय जाप्ता श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70, श्री विष्णुसिंह कानि0 135, श्री राकेश सिंह कानि0 268 एवं कानि. चालक श्री बृजेश कुमार के जरिये प्राईवेट वाहन बाद हिदायत रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री ऋषिकेश मीना व आकाश कुशवाह एवं जाप्ता के श्री बृजेश कुमार कानि0 461, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 277 के हमराह जरिये सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर, सरकारी कैमरा आदि सामग्री के लेकर समय 09.35 एएम पर एसीबी कार्यालय करौली से रवाना कस्बा बसेडी हुआ, कार्यालय में सतवीर कनिष्ठ सहायक एवं हैड कानि0 समय सिंह को बाद हिदायत छोडा गया, समय 11.25 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं स्टाफ को मय ट्रेप बौक्स आदि सामग्री सहित उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा जरिये सरकारी /प्राईवेट वाहन बोलेरो गाडियो के लेकर सरमथुरा-बाडी होता हुआ कस्बा बसेडी में गांधी चौक तिराये जगनेर रोड पर पहुंचा जहां पर कुछ समय के बाद पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह मोटरसाईकिल लेकर उपस्थित आया, तत्पश्चात दोनो गवाहान के सामने सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखी हुई पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4000 रूपयों को श्री बृजेश कुमार कानि. चालक से निकलवाकर उक्त राशि के नम्बरों को फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट दिनांक 16.09.025 से मिलान कराकर तथा नोटो को उपर-नीचे करवाकर परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह की जामा तलाषी लिवाई जाने के बाद श्री बृजेश कुमार कानि0 चालक के जरिये पाउडरयुक्त राशि 4000 रूपये परिवादी रूपेन्द्र सिंह के बदन

पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाई जाकर पूर्वाअनुसार हिदायत दी गई एवं रिश्वत स्वीकृति का सिर पर हाथ फेरने का ईशारा बताया गया तत्पष्चात आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन से वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकार्ड हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर , मय मैमोरी कार्ड के बाद समझाईस परिवादी को सुपुर्द किया गया, तत्पष्चात श्री बृजेश कुमार कानि. चालक एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों, गवाहान, परिवादी के हाथों को साबुन-पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन -पानी मे साफ करवाये जाकर समय करीब 11.30 एएम पर परिवादी एवं श्री सुमेर सिंह हैड कानि. एवं गवाह श्री ऋषिकेश मीना को परिवादी के हमराह उसकी मोटरसाईकिल पर परिवादी के घर के लिये रवाना किया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह एवं हमराही जाप्ते को मय ट्रैप बॉक्स सरकारी लेपटॉप, प्रिन्टर, वीडियो सरकारी कैमरा आदि सामान सहित लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर समय 11.35 ए.एम. पर पुराना पुलिस थाना बसेडी के पास पहुंचा तथा प्राईवेट वाहन को मय अजय कुमार एएसआई, एवं विष्णु सिंह व राकेश कुमार कानि. एवं चालक बृजेश कुमार के थाने मे पहले खडा करवाया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के श्री बृजेश कुमार कानि0, एवं गवाह श्री आकाश कुशवाह एवं कानि0 गोपेन्द्र सिंह के सरकारी वाहन को लेकर परिवादी के आवास से आगे रोड पर खडा होकर वाहन से गोपेन्द्र सिंह कानि0 को उतारकर परिवादी के घर के लिये रवाना कर अग्रिम सूचना व ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ, कुछ समय के बाद श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 ने जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी ने आरोपी लोकेश मीणा लाईनमैन से फोन पर वार्ता की है तो उसने अपना नगर पालिका बसेडी में मीटिंग मे होना एवं आधा पौन घंटे में परिवादी के घर पर आने के लिये कहा है। इसके बाद करीब एक घंटे तक कोई किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हैड कानि0 सुमेर सिंह से मोबाईल पर वार्ता की तो उसने बताया कि अभी तक आरोपी लाईनमैन नहीं आया है और ना ही उसका कोई फोन परिवादी के पास आया जिस पर सुमेर सिंह हैड कानि0 को परिवादी की आरोपी लाईनमैन से वार्ता कराने एवं हुई वार्ता के संबंध में अवगत कराने बाबत कहा गया, इसके कुछ समय के बाद सुमेर सिंह हैड कानि0 ने जरिये फोन मुझे बताया कि परिवादी की आरोपी लाईनमैन से फोन पर वार्ता हुई है तो आरोपी लाईनमैन ने परिवादी को नगर पालिका बसेडी में पैसे लेकर बुलाया है, इस पर समय करीब 12.48 पीएम पर सुमेर सिंह हैड कानि0 को मय परिवादी व गवाहान एवं गोपेन्द्र सिंह कानि0 को साथ लेकर नगर पालिका बसेडी पहुंचने के निर्देश देकर तथा अजय कुमार एएसआई को मय जाप्ता के प्राईवेट वाहन सहित पंचायत समिति बसेडी स्थित नगर पालिका के पास पहुंचने हेतु निर्देशित कर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह एवं जाप्ता को जरिये सरकारी वाहन लेकर रवाना होकर समय 01.00 पीएम पर नगर पालिका बसेडी के पास पहुंचा जहां पर श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 मय परिवादी व गवाह एवं गोपेन्द्र सिंह कानि0 सहित मौजूद मिले तथा अजय कुमार एएसआई मय जाप्ता के जरिये प्राईवेट वाहन पंचायत समिति बसेडी के आस पास खडे मिले, तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ईशारे के जरिये पैदल पैदल वॉईस् रिकार्डर को चालू कराकर नगर पालिका बसेडी में आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के पास रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 एवं कानि0 गोपेन्द्र सिंह एवं गवाह ऋषिकेश मीना को रवाना किया तथा वाहन से श्री बृजेश कुमार को उतारकर पैदल-पैदल रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय अन्य जाप्ता, गवाहान सहित नगर पालिका बसेडी के आस-पास अपनी अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के अगले ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुये। इसके बाद समय 01.15 पी. एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री रुपेन्द्र सिंह ने नगर पालिका बसेडी के मुख्य गेट से बाहर रोड पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित परिवादी के पास पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात परिवादी ने पूछने पर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री लोकेश कुमार मीना लाईनमैन ने नगर पालिका बसेडी के अन्दर मुझसे हमारे घरेलू विधुत मीटर की वास्तविक रीडिंग को कम दिखाकर बिल देने एवं मीटर की वास्तविक रीडिंग को जीरो कर मीटर को बदलने की एवज में 4000 रूपये रिश्वत में मांग कर अपने बांये हाथ में लेकर दोनो हाथों से देखकर अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर वाली सामने की बांयी जेब में रख लिये है वह नगर पालिका परिसर में खडा हुआ है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं हमराही जाप्ता को मय परिवादी के साथ लेकर मुख्य गेट से होकर नगर पालिका बसेडी के अन्दर पहुंचा, जहां परिसर में नेवी ब्ल्यू शर्ट एवं नीली पैन्ट पहने हल्की सी डाढी वाले खडे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही लोकेश कुमार मीना लाईनमैन है जिसने मुझसे अभी अभी 4000 रूपये रिश्वत में लेकर अपनी शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब में रखे है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुये अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बनवारीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बडियाल कला तहसील बसवा पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) नयावास फीडर बसेडी, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर होना बताया,जिससे परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह से उसके पिता श्री भैरोसिंह के नाम स्वीकृत घरेलू विधुत कनैक्शन पर स्थापित विधुत मीटर में विधुत उपयोग रीडिंग का नहीं बल्कि कम रीडिंग दिखाकर बिल देने एवं मीटर की वास्तविक रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने

की एवज में स्वयं के लिये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.09.2025 को सर्वप्रथम 6000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के निवेदन पर 4 हजार रूपये रिश्वत में लेने पर सहमत होकर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 17.09.2025 को परिवादी को नगर पालिका बसेडी में बुलाकर परिवादी से प्राप्त की गई 4000 रूपये की रिष्वत राशि को प्राप्त करने का कारण पूछा गया तो आरोपीकुछ नहीं बोला चुपचाप रहा बार-बार पूछा जाने पर कोई जबाब नहीं दिया,इसके बाद आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन को परिवादी से प्राप्त की गई 4000 रुपये की राशि के बारे मे पूछा तो उसने अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब के अन्दर रखी होना हाथ के ईशारे से बताया जिस पर गवाह श्री ऋषिकेश मीना से आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के बदन पर पहनी शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब की तलाशी लेने हेतु कहा तो उक्त गवाह ऋषिकेश मीना ने आरोपी लाईनमैन की पहनी हुई नेवी-ब्ल्यू शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब में से 500-500 रूपये के नोटो की छोटी मे मुडी हुई गड्डी निकाली जिसको गवाह से चैक करवाया तो 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4000 रूपये मिले जिनके नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले जिन्हें गवाह ऋषिकेश मीना के पास सुरक्षित रखवाया गया,तत्पश्चात ऋषिकेश मीना गवाह ने आरोपी की शर्ट की जेब में अन्य राशि का भी रखा होना बताया जिसको यथास्थित रहने दिया, तत्पश्चातमौके पर बैठ कर कार्यवाही करने हेतु समुचित व्यवस्था नही होने के फलस्वरुप नगर पालिका बसेडी के अधिकारी से नगर पालिका में ही कार्यवाही करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने की कहने पर उनके द्वारा नगर पालिका की प्रथम मंजिल पर स्थित ईओ कक्ष में बैठकर कार्यवाही करने की सहमति दी जिस पर आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन को यथास्थिति में मय हमराहियान, गवाहान परिवादी व स्टाफ के सीढियो से होकर प्रथम मंजिल स्थित ईओ कक्ष में लेकर आया और उक्त कक्ष में आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन को बिठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, स्टाफ के सामने प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 से वाहन में से ट्रेप बॉक्स निकलवाकर मंगवाया एवं उक्त हैड कानि से ही नगर पालिका कार्यालय में से पानी से भरा हुआ कैम्पर मंगाया जाकर ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों को निकलवाकर उनमें गवाह श्री आकाश कुशवाह सहायक लेखाधिकारी से केम्पर में से पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क- RH-1 RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी लोकेश कुमार मीणा के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क LH - 1, LH -2अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया।इसके बाद आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन से धोवन का रंग गुलाबी आने का कारण पूछा गया तो कोई जबाब नहीं दिया, उसके बाद आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन से एक बार पुनः परिवादी से मांग कर प्राप्त की गई 4000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैने इस रूपेन्द्र सिंह से कोई रिश्वत राशि ना तो मांगी और ना ही ली है, यह रूपेन्द्र सिंह अपने विधुत बिल को मुझसे जबरदस्ती कम कराना चाहता था, और इसी के चलते इसके द्वारा मुझे जबरदस्ती 4000 रूपये देकर गलत फसाया गया है। इसके अलावा मै और कुछ नही कहना चाहता हूं। इसके बाद आरोपी द्वारा अपने बचाव में बताये गये तथ्यों के बारे में मौके पर उपस्थित परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि-हमारे पिताजी श्री भैरो सिंह के नाम से स्वीकृत घरेलू विधुत कनैक्शन के.नं.210922020588 के विधुत मीटर का माह अगस्त बिल राशि 444 रुपये जो बकाया है एवं उक्त मीटर में वर्तमान में 2300 के करीब रीडिंग है, जिसको कम कर बिल देने एवं मीटर में अधिक रीडिंग को जीरो कर मीटर को बदलने के लिये 6000 रुपये रिश्वत देने का दबाब बनाया जा रहा था तो मैने आपसे सम्पर्क कर दिनांक 10.09.2025 को आपके कार्यालय करौली में आपके पास जाकर इन लाईनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के लिये लिखित शिकायत दी थी जिस पर आपके द्वारा दिनांक 11.09.2025 को मेरे निवेदन पर अपने दो कर्मचारी समय सिंह एवं गोपेन्द्र सिंह को मेरे पास कस्बा बसेडी स्थित मेरे घर पर मय वॉईस रिकार्डर के भेजा था तथा मेरे फोन करने पर ये लाईनमैन मेरे घर पर आये जिनसे मैने अपने विधुत मीटर बिल, रीडिंग, एवं मीटर बदलने के बारे में बातचीत की तो इन्होने मुझसे मेरे उक्त कार्य के बदले में सर्व प्रथम 6000 रूपये रिश्वत की मांग की थी और मेरे निवेदन पर ये 4000 रूपये लेने पर सहमत हुये थे, तथा दिनांक 16.09.2025 को ये अपने

अधिकारियों के साथ विधुत चोरी पकडने में गये हुये होने से देर शाम तक नहीं आये और आज दिनांक 17.09.2025 को अपनी उक्त मांग के अनुसरण में मेरे द्वारा फोन करने पर मुझे अपना नगर पालिका बसेडी में होना बताकर आधा-पौन घंटा में मेरे घर पर ही आने की कहकर मेरे घर पर नहीं आये और मुझे नगर पालिका बसेडी में बुलाकर इन्होने मांग कर मुझसे 4000 रुपये रिश्वत में अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब में रख लिये उसके बाद मैंने नगर पालिका के मैनगेट से बाहर जाकर आपको बताया हुआ ईशारा कर दिया जिस पर आपने आकर इनको पकड लिया। परिवादी के उक्त कथनों के सम्बन्ध में एक बार पुनः आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन से पूछा गया तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई। तत्पष्चात गवाह श्री ऋषिकेश मीना के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई हुई आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के कब्जे से उसके पहनी हुई शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब से मिली रिश्वत राशि 4000 रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया जाकर विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया गया तथा बरामद शुदा नम्बरी 500-500 रुपये के 08 नोट कुल राशि 4000 रुपये को एक सफेद कागज की चिट के साथ सील्ड मौहर कर एवं विवरण चिट पर अंकित कर चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, तत्पश्चात आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के बदन पर पहनी हुई शर्ट बरंग नेवी-ब्ल्यू को सम्मान बदन से उतरवाया जाकर उसके किराये के आवास से स्टाफ के जरिये अन्य शर्ट मंगवाकर पहनवाया गया तथा उतारी हुई नेवी-ब्ल्यू रंग की शर्ट की उपरी बांयी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो कुल 16226 रूपये नगद मिले के बारे में आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन ने पूछने पर उक्त राशि आज दिनांक 17.09.2025 को विधुत उपभोगताओं द्वारा जमा कराई गई विधुत बिल की सरकारी राशि होना बताया एवं अपनी पेंन्ट की जेब से कम्प्यूटराईज्ड बिलिंग मशीन निकालकर उसमें से आज दिनांक 17.09.2025 को जमा राशि बाबत बिल निकालकर पेश किया, जिसको चैक किया तो मुताबिक बिल चार उपभोगताओं की राशि 16226 रूपये होना पाई गई, जो मुताबिक बिल राजकीय राशि होना पाई गई, उक्त बिल की फोटो प्रति कराकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर कब्जे में लिया गया तथा राशि 16226 रू. को को गवाह आकाश कुशवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया जिसे कार्यालय एईएन जयपुर डिस्कॉम बसेडी से सरकारी कार्मिक तलब कर उसको सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की जावेगी तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को गवाह आकाश कुशवाह से ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें कैम्पर से पानी भरवाकर उसमें उक्त गवाह आकाश कुशवाह से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के बदन से उतरवाई हुई शर्ट बरंग नेवी ब्ल्यू की सामने की उपरी बांयी जेब को उलटवाकर उक्त गवाह से घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बिन्धतों ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा डलवाकर शीषीयों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क S -1व S- 2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात उक्त शर्ट बरंग नेवी ब्ल्यू की धुलाई हुई जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट बरंग नेवी ब्ल्यू को कपडे की थैली में रख सुई धागे से सिलवाकर सील्ड मोहर कर कपडे की थेली पर विवरण अंकित कर एवं मार्क- S अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर कर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड इन्ने सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन से परिवादी श्री रूपेन्द्र सिंह के कार्य से सम्बन्धित कोई किसी प्रकार का रिकाई बगैराह होने बाबत पूछा तो स्वयं के पास कोई रिकार्ड नहीं होना बताया, इसके बाद परिवादी एवं आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन को एक साथ रखते हुये आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, के बारे में पूछा गया तो दोनो ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ, शर्ट की जेब की धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा में जरिये बृजेश कुमार कानि0 से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर नमूना सील नं. 35 फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें, तथा आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के पास मिली उपभोगताओं से प्राप्त विधुत बिलों की सरकारी राशि 16226 रूपये को मय जमा रसीद के मौके पर उपस्थित आये हुये श्री लेखराज तंवर एआरओ को सम्भलाई जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त की गई, तथा एआरओ श्री लेखराज तंवर द्वारा परिवादी के पिता श्री भैरासिंह के नाम का विधुत कनैक्शन के.नं. 210922020588 का कुल उपभोग रीडिंग 142 यूनिट का विधुत बिल दिनांक 15.09.2025 राशि 273 व पिछली बकाया राशि 444 मिलाकर कुल राशि 717 रू. अन्तिम भुगतान तिथि 25.09.2025 की प्रति सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम बसेडी की रबड मोहर व हस्ताक्षरित पेश की जिसको शामिल पत्रावली

किया गया, तत्पश्चात आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन का सेवा विवरण उपलब्ध बाबत सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम बसेडी के नाम पत्र जारी कर वांछित दस्तावेज प्राप्ती बाबत श्री विष्णु सिंह कानि0 को रवाना किया गया। इसके बाद समय 05.40 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निषादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात समय करीब 06.30 पीएम पर आरोपी दीपक लोकेश कुमार मीणा तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, वक्त गिरफ्तारी जामा तलाशी में मिले विद्युत विभाग के एनरोल्ड सेमसंग मोबाईल फोन मय बिलिंग मशीन को मौके पर उपस्थित आये हुये श्री लेखराज तंवर ए.आर.ओ को बाद प्राप्ती रसीद सुपुर्द किया गया तथा तलाशी में मिले पर्स एवं उसमें रखी राशि 610 रू. एवं अन्य दस्तावेज एवं मोबाईल फोन एवं मोटरसाईकिल मय चाबी को उपस्थित आई हुई आरोपी की पत्नी श्रीमती मिथलेश मीणा को बाद प्राप्ती रसीद सुपुर्द किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना भी आरोपी की स्वयं की इच्छा से उसकी पत्नी श्रीमती मिथलेश मीणा को दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135 के जरिये कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर से आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन का सेवा विवरण प्राप्त किया गया। इसके बाद समय 07.50 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री लोकेश कुमार लाईनमैन को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा, विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड डले सहित आदि के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल कार्यालय नगर पालिका बसेडी से परिवादी के पुराना थाना बसेडी के पास स्थित आवास पर विधुत मीटर की वर्तमान रीडिंग की फोटो/वीडियोग्राफी हेतु रवाना होकर समय 08.00 पी.एम. पर पुराना पुलिस थाना बसेडी के पास स्थित परिवादी के आवास पर पहुंचा, जहां उक्त आवास के बाहर मैने गेट के पास दीवार में लगे हुये विधुत मीटर नम्बर-14338491 एवं उसमें वर्तमान रीडिंग की सरकारी कैमरा से जरिये कानि0 बृजेश कुमार के फोटोग्राफी कराई गई जिसमें वर्तमान रीडिंग 2438 होना मिली, जिसका मिलान प्राप्त बिल से किया गया तो बिल में मीटर नम्बर-14338991 अंकित होना एवं मोबाईल नम्बर के स्थान पर अंकित होना पाया गया जिस बाबत स्थिति स्पष्ट की जावेगी। बाद कार्यवाही समय करीब 08.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री लोकेश कुमार लाईनमैन को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा, विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड डले सहित आदि के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों परिवादी के बसेडी स्थित आवास से रवाना होकर समय 10.00 पी.एम. एसीबी कार्यालय करौली पहुंचा, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल, सील्ड रिश्वत राशि धोवन की सील्ड शीशीयों, शर्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक सुमेर सिंह करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन को खाना खिलाकर जाप्ता की निगरानी में सामान्य चिकित्सालय करौली भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराया जाकर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात समय 11.10 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें आज दिनांक 17.09.2025 की परिवादी एवं आरोपी लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में विभागीय लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रामक्रिप्ट टंकण एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि0 461 उक्त रिकार्ड वार्ता की लेपटॉप् की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों किंगस्टन 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं मार्का अंकित कराकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्क बी-2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया, एवं आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी कार्ड किंगस्टन 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क-बी, अंकित कर खाली माचिस की डिब्बी में सुरक्षित रखकर टेप लगाकर डिब्बी के उपर मार्क अंकित कर उसका कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्का बी,अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईवों की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात दिनांक 18.09.2025 को समय 12.05 ए.एम. पर दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये बृजेश कुमार कानि0 461 सरकारी बीडियो कैमरा में करवाई गई बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ एवं शर्ट धुलाई कार्यवाही सबंधी

बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि0 बृजेश कुमार संग्रहित करवाई जाकर मार्क सी-1 व सी-2 एवं सी-3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-सी-1 व सी-2 को कवरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-सी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात सरकारी कैमरा में परिवादी के आवास पर लगे विधुत मीटर व उसकी वर्तमान रीडिंग 2438 होने संबंधी खीचे गये फोटोग्राफ की जरिये कम्प्यूटर/ प्रिन्टर प्रिन्टआउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया, इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना कोतवाली करौली भेजकर गिरफतार शुदा अभियुक्त को हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया, इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील नम्बर 35 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूना शील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस 35,, अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जप्त/सील्ड रिष्वत लेन-देन वार्ता पैनड्राईव मार्क-बी-1, बी-2, एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क बी, एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क सी-1 व सी-2 को एवं सील्ड टूटी नमूना सील का पैकिट मार्क-एनएस-35 को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया तत्पश्चात गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा लाईनमैन से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिष्वत राषि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब किया गया तथा बाद कार्यवाही दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से अपनी अपनी सकूनत के लिये रवाना किया गया, गिरफ्तार आरोपी लोकेश कुमार मीणा तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) को वास्ते जेसी माननीय न्यायालय भ्र.नि. अधिनियम भरतपुर में पेष किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बनवारीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बडियाल कला तहसील बसवा पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) नयावास फीडर बसेडी, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी श्री रुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरोसिंह उम्र 25 वर्ष, जाति राजपूत निवासी बसेडी जिला धौलपुर से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.09.2025 को परिवादी के बसेडी स्थित आवास पर परिवादी के पिता श्री भैरोसिंह पुत्र श्री कोक सिंह के नाम स्वीकृत घरेलू विधुत कनैक्शन के. नम्बर 210922020588 पर स्थापित विधुत मीटर में वास्तविक रीडिंग मुताबिक वार्ता 2366 होना व राशि 14000 रू. बताकर वास्तविक रीडिंग का नहीं बल्कि कम रीडिंग का बिल बनाकर देने एवं मीटर में वास्तविक रीडिंग को जीरो कर उसको बदलने की एबज में परिवादी से 6000 रूपये की रिश्वत राशि की स्वयं के लिये मांग करना एवं परिवादी के निवेदन पर 4000 रूपये लेने पर सहमत होना एवं विधुत मीटर में वास्तविक रीडिंग का नहीं बल्कि औसतन कुल उपभोग रीडिंग 142 यूनिट का ही विधुत बिल दिनांक 15.09.2025 राशि 273 व पिछली बकाया राशि 444 मिलाकर कुल राशि 717 रू. अन्तिम भुगतान तिथि 25.09.2025 का बिल जारी करना एवं अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 17.09.2025 को परिवादी को नगर पालिका बसेडी में बुलाकर परिवादी से 4000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 4 हजार रुपये की राषि उसके कब्जे से उसके बदन पर पहनी हुई शर्ट की सामने की उपरी बांयी जेब से बरामद होना एवं परिवादी के आवास पर स्थापित विधुत मीटर की वर्तमान रीडिंग 2438 होना पाया गया है। अतः श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बनवारीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बडियाल कला तहसील बसवा पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) नयावास फीडर बसेडी, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो करौली...........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस, निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री बनवारीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बडियाल कला तहसील बसवा पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) नयावास फीडर बसेडी, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 336 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1395-98 दिनांक 18.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,

भरतपुर, 2. अधीक्षण अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम बसेडी, जिला धौलपुर ।3-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/12/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)